नाम न्यायालय

केस संख्या

फर्द अहकाम

बनाम

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रति. संख्या 1 उपस्थित। TDR सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर व कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader
pl examine
report
21/3/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

वाद पत्र संख्या 45/2023

हाईब्रिड रियल एस्टेट प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर अमरनाथ तोषनीवाल पुत्र श्री बृजकिशोर तोषनीवाल पंजीकृत कार्यालय 3/108 जवाहर नगर जयपुर

वादी

बनाम

बाबूलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण
भॅवरलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण
समस्त जाति खाती निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बटवारां व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

न्यायवर

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि :–

यह कि वादी व प्रतिवादी सख्या एक व दो की संयुक्त आराजि भूमि हाल खसरा नम्बर 4501 रकबा 0.10 हैक्टेयर, वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका भू अभिलेख नि0 क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी सख्या एक का हिस्सा 1/5, व प्रतिवादी सख्या एक का हिस्सा 3/5, प्रतिवादी सख्या दो का हिस्सा 1/5, राजस्व रिकार्ड मे अकिंत है।

यह कि उक्त आराजियात को वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो मनबट के आधार पर बटवारां कर कृषि काश्त करते आ रहे है किन्तु उक्त आराजियात का अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ। तथा वादी ने अपनी आराजीयात को काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाउ बना रखा है। तथा अपने हिस्से की भूमि को उपयोग उपभोग मे लेती आ रहा है।

For Hybrid Real Estate Pvt. Ltd.

Director

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 45/2023
निर्णय दिनांक : 20.03.2025

उनवान

1. हाईब्रिड रियल स्टेट प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर अमरनाथ तोषनीयवाल पुत्र श्री बृजकिशोर तोषनीवाल पंजीकृत कार्यालय 3/108 जवाहर नगर जयपुर।

वादी

वनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण
2. भंवरलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण

समस्त जाति खाती निवासी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अंतिम डिक्री–आदेश

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादी के वाद में दिनांक 20.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 4501 रकबा 0.10 हैक्टेयर का पक्षकारान के निहित हिस्सानुसार विधिवत व नियमानुसार विभाजन करते हुये उपयुक्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 03.07.2024 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमाक भु0अ0/कुर्रेजात/2024/8811 दिनॉक 23.10.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षो की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी द्वरा कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ती प्रस्तूत की गयी है। प्रार्थना पत्र आपत्ती कुर्रेजात पर सुना गया। प्रार्थना पत्र आपत्ती कुर्रेजात खारिज किया गया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन करने पर व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 4501 रकबा 0.10 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	531	बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 3/5, भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/5 जाति जांगिड सा. देह खातेदार, हाईब्रिड रियल एस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 कार्यालय 3/108 जवाहर नगर जयपुर हिस्सा 1/5 खातेदार	4501	0.10	बरानी A	1.10
		कुल किता	1	0.10 हैं0		1.10

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

क्र.स.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बा0 A	हाईब्रिड रियल एस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 कार्यालय 3/108 जवाहर नगर जयपुर हिस्सा पूर्ण खातेदार	4501/मि.	0.02		
2.	बा0 A	बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 3/4, भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/4 जाति जांगिड सा. देह खातेदार	4501/मि.	0.08		
		कुल किता	2	0.10 हैं0		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। मुताबिक निर्णय पृथक से अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर